OFFICE OF THE MANAGING DIRECTOR M P Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company Limited (Government of M.P. Undertaking)



Regd. Office Bijali Nagar Colony, Nishtha Parisar,
Govindpura, Bhopal- 462023
2-2602033;2602034; FAX:2589821
Website: www.mpcz.co.in
CIN:- U40109MP20028GC015119



No.MD/MK/Rec./F-235/2018/9219

Bhopal, Dated:01/10/2018

ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि. भोपाल मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी है द्वारा म.प्र. के मूल निवासी अम्यर्थियों के लिये जिन्होंने आई.टी.आई. (एन.सी.वी.टी.) एस.सी.वी.टी.) उत्तीर्ण की हो को शिक्षु अधिनियम 1981 के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीनिक्स मैकेनिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनो (हिन्दी), स्टेनो (इंगलिश) ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु कुल रिक्तियां 973 है, जो कि कॉर्पोरेट कार्यालय मोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर, शहर वृत भोपाल, शहर वृत ग्वालियर तथा संचा.संधा. वृत (भोपाल, विदेशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, होशंगाबाद, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, श्योपुर) में रिक्त है।

नोट: -

- 1. ऑनलाईन आवेदन हेतु देबसाईट <u>www.apprenticeship.gov.in</u> है, जिस पर दिनांक 17.10.2018 की मध्य रात्रि तक आवेदन भरे जायेंगे।
- 2. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि । वर्ष रहेगी, जिसमें नियमानुसार स्टाईपेण्ड देय होगा।
- 3. आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.2018 को 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होना चाहिये।
- उक्त रिक्तिया की संख्या परिवर्तनशील है तथा कंपनी को रिक्तियां भरने या न भरने का अधिकार रहेगा।
- 5. आरक्षण, आयु में छूट एवं अन्य जानकारी हेतु विवरण कंपनी की वेबसाईट "www.mpcz.co.in" पर विस्तृत विज्ञापन देख सकते है अथवा उपरोक्त कार्यालयों में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है।

(एस.के.चौबे) महाप्रबन्धक (मती)




कार्यालय प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)



पंजीकृत कार्यालय-निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा,भोपाल. 462023 सीआईएन - U40109MP2002SGC015119

फोन आफिस 0755-2602033-34 फैक्स - 2589821





मानव संसाधन विभाग (ISO 9001:2008 प्रमाणित)

क्रमांकः प्रसं. / म.क्षे. / मर्ती / 2018 / 9 2 19

भोपाल, दिनांकः । / 🔿 / 2018

्रेंड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन की विस्तृत विज्ञापन

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि. भोपाल मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी है द्वारा म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये जिन्होंने आई.टी.आई. (एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी.) उत्तीर्ण की हो को शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनो (हिन्दी), स्टेनो (इंगलिश) ट्रेंड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। ट्रेंड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु कुल रिक्तियां 973 है, जो कि कॉर्पोरेट कार्यालय भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर, शहर वृत भोपाल, शहर वृत ग्वालियर तथा संचा.संधा. वृत (भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, होशंगाबाद, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, श्योपुर) में रिक्त है, जिनका स्थापना वार एवं ट्रेंड वार विवरण निम्नानुसार है।

S. No.	Corporate/Region/Circle Name	Establishment No.	Trade Apprentice	Electrician Trade	Electronics Mechanic	Computer Operator and Programing Assistant	Steno (English)	Steno (Hindi)
1	MD Office	E08182302843	27	3	3	15	2	4
2	Bhopal Region Office	E09182302905	24	12	0	10	1	1
3	City Circle, Bhopal	E09182302901	97	67	4	24	1	1
4	O&M, Bhopal	E09182302898	50	37	0	12	0	1
5	O&M, Raisen	E09182302911	43	32	0	10	0	1
6	O&M, Sehore	E10182302948	52	39	0	12	0	1
7	O&M, Vidisha	E09182302909	40	28	0	12	0	0
8	O&M, Betul	E09182302908	65	49	0	15	4.0	1
9	O&M, Hoshangabad	E09182302895	80	54	0	25	0	1
10	O&M, Rajgarh	E09182302929	56	42	0	13	0	1
11	Gwalior Region Office	E09182302900	21	10	0	9	1	1
12	City Circle, Gwalior	E09182302930	78	54	2	20	1	1
13	O&M, Gwalior	E09182302920	68	52	0	15	0 -	1
14	O&M, Morena	E09182302933	61	47	0	13	0	1
15	O&M, Guna	E09182302896	71	55	0	15	0	1
16	O&M, Bhind	E09182302937	51	38	0	12	0	1
17	O&M, Shivpuri	E09182302912	54	40	0	13	0	1
18	O&M, Sheopur	E09182302931	35	25	réaler l	10	0	0
	Grand Total		973	684	9	255	6	19

1. आरक्षण एवं आयु में छूट:-

- ग्रिक्ट्या में अन.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग तथा दिव्यांग आरक्षण शिक्षुता नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। (संलग्नक—I)यदि अन.जाति/अ.ज.जा. संवर्ग में निर्धारित संख्या में अभ्यर्थि उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जायेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।
- ॥. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रहेगी।
- शा. रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरुप विभिन्न वर्गों / श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुर्नरीक्षित हो सकती है।
- IV. सभी वर्गों में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी वाहिए।
- V. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों की अधिकत आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट रहेगी।

2. चयन प्रकिया :-

- I. आईता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावेगी। तत्पश्चात, म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों में आई.टी.आई में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम (मेरिट आधार) में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।
 - ॥. अभ्यर्थि केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है।
 - III. निर्घारित समयाविध में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

3. स्टाईपेण्ड-

स्टाईपेण्ड महानिदेशक (ट्रैनिंग) तथा कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार देय होगा जो वर्तमान में निम्नानुसार है:—

क्रं.	आर्हता	अर्धकुशल कार्मिक के 01.10.2018 को न्यूनतम वेतन का				
क)	आई.टी.आई. (एस.सी.व्ही.टी.)	७० प्रतिशत				
ख)	आई.टी.आई. एन.सी.व्ही.टी. (एक-वर्षीय)	80 प्रतिशत				
ग)	आई.टी.आई. एन.सी.व्ही.टी. (दो-वर्षीय)	90 प्रतिशत				

नोट— 01.10.2018 से अर्धकुशल न्यूनतम मज़दूरी रुपये 8232/— है। (संलग्नक—II) शिक्षुता अवधि में उक्त वेतन (रु.8232/— आधार पर ही स्टाईपेण्ड देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाम की पात्रता नहीं होगी।

4. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानक:-

- किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो के आधार पर ही किया जावेगा।
- ॥. दिव्यांग अभ्यर्थियों को उचित प्रारुप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40% अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

जोखिम पूर्ण ट्रेंड को छोड़कर अन्य ट्रेंड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

आवेदन कैसे करें:-

 अभ्यर्थि का वेबसाईट <u>www.apprenticeship.gov.in</u> पर पंजीकरण अनिवार्य है, यदि अभ्यर्थि ने पंजीकरण नहीं कराया है तो संलग्नक—(III) में दी प्रक्रिया अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं।

- II. अभ्यर्थि पंजीकरण के उपरांत अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर "Establishment search" में जाकर कंपनी में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार आवेदन करें, केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया संलग्नक—(IV) में है।
- III. ऑनलाईन आवेदन हेतु दिनांक 31.10.2018 की मध्य रात्रि तक आवेदन भरे जायेंगे। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे।
- IV. विस्तृत विवरण हेतु उम्मीदवार कंपनी की वेबसाईट "<u>www.mpcz.co.in</u>" पर देख सकते है अथवा उपरोक्त कार्यालयों में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है।
- V. पंजीकरण में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर जिला शिक्षुता अधिकारी तथा आवेदन में कठिनाई होने पर जिला शिक्षुता अधिकारी / संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है, जिनकी जानकारी संलग्नक—(V) में है।

महत्तवपूर्ण निर्देश एवं शर्तै:—

- अभ्यर्थि कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आवश्यक योग्यता रखते है तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही है।
- ॥. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, अभ्यर्थि निर्धारित आईताओं को पूरा नहीं करते है और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते है। अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।
- आनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग अभ्यर्थि कृप्या अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।
- IV. यदि अभ्यर्थि अपने ऑनलाइन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो Edit my profile में जाकर परिवर्तन कर सकते है।
- V. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही के निपटारे हेतु शिक्षुता अधिनियम 1961 एवं इसके संशोधन के प्रावधानुसार के आधार पर किया जावेगा।
- VI. अभ्यर्थि चयन हेतु म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- VII. शिक्षुता अवधि में अभ्यर्थियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश तथा सप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
- VIII. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा।
- IX. म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने / सीमित करने / बढ़ाने का अधिकार होगा।
- चयन न होने की स्थिति, में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
- XI. अभ्यर्थि ध्यान रखें कि, शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 22 (1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल किसी भी अभ्यर्थी को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।
- XII. शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 21 (1) एवं (2) के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा, उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जावेगा।

महाप्रबंधक (भर्ती)